न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00198 RAAJodhpur2019-86RTA223 Jalaram etc Vs Badar etc

01. जालाराम पुत्र श्री शिवराम
02. पंचाराम पुत्र श्री शिवराम
03. रामनिवास पुत्र श्री भंवरलाल
04. रामनारायण पुत्र श्री भंवरलाल
05. कानाराम पुत्र श्री भंवरलाल
06. रामजोत पुत्री श्री भंवरलाल
07. शांति पत्नी श्री भंवरलाल
08. चेतनराम पुत्र श्री जगमालराम
09. बाबूलाल पुत्र श्री जगमालराम
10. अर्जूनराम पुत्र श्री जगमालराम
11. गुटी पुत्री श्री जगमालराम सभी जातियान् माली, निवासीगण- भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

न

म

1. बादर पुत्र श्री घेवरराम
2. सुण्डाराम पुत्र श्री हेमाराम
3. चेतनराम पुत्र श्री भल्लाराम
4. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम सभी जातियान् माली, निवासीगण- भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादर व अ न्य बनाम जालाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो.-संख्या एक से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादर व अन्य बनाम जालाराम इत्यादि अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2019 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2923 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2924 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि ग्राम भोपालगढ एम.बी. में वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन से सात का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या आठ से ग्यारह का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाये बिना मकान निर्माण कार्य करवाना चाहते है तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते है। इसलिए विवादग्रस्त भूमि का विभाजन माप सीमा के आधार पर किया जाकर विभाजन की डिक्री सादिर की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा उभय पक्ष की सहमति अंकित करते हुए दिनाक 28 जून 2019 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय जारी की गई, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर भोपालगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 28.06.2019 पूर्णरूप से गलत, सुस्पष्ट विधि के विपरीत मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है तथा विद्वान सहायक कलक्टर ने वाद पत्रावली में कायम की गयी तनकीयात पर साक्ष्य सबूत लिये बिना केवल वादी द्वारा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है एवं पीडी जारी करने पर सहमति होने का लिखकर प्रतिवादीगण को सुने बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रूटि की गयी है। अपीलांट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई सहमति नहीं दी थी। वादीगण के अधिवक्ता ने कोई साक्ष्य नहीं करवायी, तब अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण की साक्ष्य बंद कर प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जानी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करने के बाद भी कोई साक्ष्य नही ली गई। प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण ने वादीगण के उपरोक्त वाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि के संयुक्त खातेदार रामसुख पुत्र तेजाराम के पूर्वज व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने आज से 65 वर्ष पूर्व आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर लिया था, तब से अलग अलग खेती करते है। प्रतिवादीगण के हिस्से में आपसी बंटवाड़े में रखी गयी भूमि पर रहवासीय मकान बनाकर प्रतिवादीगण निवास करते आ रहे है। वादीगण उक्त रामसुख पुत्र तेजाराम से उसके हिस्से की भूमि आपसी बंटवाडत्रे के बाद खरीद की तथा बेचानकर्ता रामसुख

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने अपने बेचाजनामें मे भी उक्त बटवाड़ा मौके पर होने की बात लिखकर मौके पर वादीगण का कब्जा करवाया, तब से वादीगण उक्त रामसुख के हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है, उक्त बेचाननामें में भूमि के पड़ोस अंकित करके वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं होने का झूठा कथन करते हुए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण के कब्जासुदा भूमि के चारों तरफ कांटो की बाड़ व तारबंदी, कच्चे पत्थरों की दीवार बनी हुई है। इस प्रकार भूमि का पुख्ता बंटवाड़ा मौके पर वादीगण ने अपने खरीद से भी पहले से चला आ रहा है, जिसको वादीगण के खरीद के दस्तावेज में जिस पड़ोस के बीच की भूमि बेची गयी है, तब उसके बीच में आने वाले बेचानकर्ता रामसुख के हिस्से का ही बेचान हुआ है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 28 जून 2019 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं जमाबंदी के अनुसार ही वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई के आधार पर विधिसम्मत एवं न्याय संगत निर्णय पारित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अतः अपीलांट्स द्वारा पारित अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2059-2062 ग्राम भोपालगढ एम.बी. तहसील भोपालगढ के खाता संख्या 173 पुराना खाता संख्या 163 के मुताबिक विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2923 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2924 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय में वादीगण का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या तीन से सात का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या आठ से ग्यारह का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जून 2019 के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगणे को **जमाबंदी संवतः 2059-62 में दर्ज हिस्से अनुसार ही खातेदार घोषित किया जाना पाया जाता है। जहां तक बंटवाड़ा प्रस्ताव पर अपीलांट को उज/एतराज है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना शेष है।** अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर **विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाने का पूर्ण अवसर प्राप्त है।** इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य पायी जाती है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादर व अ न्य बनाम जालाराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/X/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. जालाराम पुत्र श्री शिवराम 02. पंचाराम पुत्र श्री शिवराम 03. रामनिवास पुत्र श्री भंवरलाल 04. रामनारायण पुत्र श्री भंवरलाल 05. कानाराम पुत्र श्री भंवरलाल 06. रामजोत पुत्री श्री भंवरलाल 07. शांति पत्नी श्री भंवरलाल 08. चेतनराम पुत्र श्री जगमालराम 09. बाबूलाल पुत्र श्री जगमालराम 10. अर्जूनराम पुत्र श्री जगमालराम 11. गुटी पुत्री श्री जगमालराम सभी जातियान् माली, निवासीगण-भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।	**ब ना म**	1. बादर पुत्र श्री घेवरराम 2. सुण्डाराम पुत्र श्री हेमाराम 3. चेतनराम पुत्र श्री भल्लाराम 4. पेमाराम पुत्र श्री तुलछाराम सभी जातियान् माली, निवासीगण-भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादर व अ न्य बनाम जालाराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 20 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट अधिवक्ता, श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट एव श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादर व अ न्य बनाम जालाराम इत्यादि को यथावत रखा जाता। । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग --------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

20/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

20/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर